कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक 1178/ दिनांक 26/6/, 2015

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक ......17/6/15......को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी, 23.75 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 23.75 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 23.75 है0 भूमि जो कि वन विभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(राम अवतार सिंह)	(पी0के0पात्रो)	(रविनाथ रमन)
जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी,	जिलाधिकारी,
देहरादून	देहरादून वन प्रभाग	देहरादून
	देहरादून	
	उप वन संरक्षक देहरादून वन प्रभाग देहरादून	District Magistrate Dehra Dun.

पृ0सं0 ..../................................/दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक 1178/ दिनांक 26/6/, 2015

वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 17/6/15 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम –2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी, 23.75 है0 में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 23.75 है0 भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 23.75 है0 भूमि जो कि वन विभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(राम अवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
(जिला समाज कल्याण अधिकारी)

(पी०के० पात्रो)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून
(प्रभागीय वन संरक्षक देहरादून वन प्रभाग देहरादून)

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी,
देहरादून
District Magistrate
Dehra Dun.

पृ0सं0 ..../................................../दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector-** Dehra Dun.

No-- 1178 Dated- 26/6/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 23.75 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttrakhand forest Devlopment Corporation (name of user agency) for Extraction of R.B.M in Swarna (purpose for diversion of forest land) in Dehra Dun district falls within jurisdiction of .... village (s) in Vikash Nagar tehsils.
Rajawala, Rampur Bhauwala, Rampur Kala

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 7 annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
District Magistrate
Dehra Dun.

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :–स्वारनानदी में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ————————
तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की स्वारनानदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामपुर भाऊवाला द्वारा दिनांक 10/05/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रामपुर भाऊवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र. रामपुर भाऊवाला
वि० खण्ड-सहसपुर
जनपद देहरादून
ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर भाऊवाला
ह0.........
दि0.........
वि0ख0 सहसपुर देहरादून
ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 10/05/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामपुर भाऊवाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वीना भट्ट उपप्रधान भाऊवाला	Bhatt
2	प्रतिमा चंद	प्रतिमा चंद
3	Amar Singh	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	सोमा सिंह नेगी	[illegible]
6	Subodh Juyal	[illegible]
7	Yashant Negi	Yashu
8	Tejpal Chauhan	Tejpal
9	विनोद चौहान	विनोद
10	सुरेन्द्र नेगी	[illegible]
11	Mohan	Mohan
12		
13		
14		
15		

प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर भाऊवाला
ह0 [illegible]
दि0
वि0ख0 सहसपुर देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान

FORM-II
(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector-Dehra Dun**

No--- **Date-----**

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 23.75 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttrakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of R.B.M From Swarna River (purpose for diversion of forest land) in D.Dun district falls within jurisdiction of Rajawala, Rampur Bhauwala, Rampur Kala village (s) in….. tehsils. Vikash Nagar

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7..annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of… Rajawala, Rampur Bhauwala, Rampur Kala…. villages(s) is enclosed as annexure. 2.. to annexure. 7…

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Dehra Dun (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ….. district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~. ..Ravi Nath Raman……I.A.S deputy commissioner,. …..17/6/15… on dated ………… at time ………….at ………. in which application claiming rights in ……Swarna River……………….. area measuring 23.75… hect for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Vikash Nagar ~~sub~~ division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;…Dehra Dun

Dated:…………..

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

District Magistrate

Dehra Dun.

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर।

उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 24/5/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मोहन सिंह बर्निया .... उपजिलाधिकारी विकासनगर .... अध्यक्ष।
2– श्री गुलबो सिंह .... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य।
3– श्री आर. एल. .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव।
4– श्री यशपाल सिंह नेगी .... बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य।

यशपाल सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
भगवानपुर जनो
वि0 ख0–सहसपुर (दे0दून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 23.75 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 23.75 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– स्वारना, में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर।

उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि – हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 22/5/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मोहन सिंह बर्निया ....उपजिलाधिकारी ....अध्यक्ष।
2– श्री गुलवीर सिंह ....उप प्रभागीय वनाधिकारी ....सदस्य।
3– श्री आर. एस. राणा ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी ....सदस्य / सचिव।
4– श्री [illegible] ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ....सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 23.75 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 23.75 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर
जनपद –देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर
जनपद– देहरादून

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – राजावाला

तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....राजावाला........ द्वारा दिनांक 10-5-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....राजावाला........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र विकास खण्ड-सहसपुर
जनपद-देहरादून

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान, राजावाला
सहसपुर जनपद-देहरादून
ह0 10-5-2015

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 10-5-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत राजावाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरसिंह नेगी राजावाला	Harsingh
2	मोहित गौड़	[signature]
3	कमलेश्वर प्रसाद	[signature]
4	Jagdamba Prasad Lasiyal	[signature]
5	Kripal singh pundir	KS Pundir
6	Santosh Bisht	SK Bisht
7	Manwar sigh Bisht	[signature]
8	विजय कुमार अग्रवाल (पूर्व प्रधान)	[signature] 9412171942
9	कीर्ति कान्त नद	कीर्ति कान्त नद 10/5/2015
10	गुलाब ...	[signature]
11	रणजीत सिंह	[signature]
12	Tulsi Ram Mongai	[signature]
13		
14		
15		

ग्राम पंचायत राजावाला ह0 [signature] 10-5-2015 वि0ख0 सहसपुर जनपद देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम रामपुर कलां

तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, – हे0 सिविल सोयम भूमि –हे0, वन पंचायत भूमि – हे0) अर्थात कुल 23.75 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......रामपुर कलां...... द्वारा दिनांक 10-05-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......रामपुर कलां...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर कलां ... सहसपुर, देहरादून)

ह0/–	ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित	मुहर सहित

प्रारुप–30.4

दिनांक 10/05/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामपुर कलां

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मदन सिंह	मदनसिंह
2	मौ० शादीक	सदीक
3	मौ० इलियास	[illegible]
4	मौ० हनीफ	[illegible]
5	मौ० हारून	हारून
6	मौ० शहवान	शहवाज
7	मौ० शहवाज	शहवाज
8	मौ० गुलफाम	मौ० गुलफाम
9	मौ० शहदाब	शहदाब
10	मौ० अकरम	अकरम
11	मौ० शमूम	मौ० शमून
12	खालिक	खालिक
13		
14		
15		

प्रधान ग्राम पंचायत रामपुर कलां

मौ० आलम

ह0/–

ग्राम प्रधान

सहसपुर, देहरादून

E/D.L.M.KHNAN DHERADUN/DFDM letter/